14/6/19 वकील डिक्रीदार उप०। वकील डिक्रीदार ने कथन किया कि प्रकरण से सम्बन्धित डिक्री दिनांक 19/2/19 की पालना हो चुकी है। अतः प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः वकील डिक्रीदार के कथनानुसार डिक्री की पालना हो चुकी है, पत्रावली पर आगे कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली पर कार्यवाही इजराय पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली [illegible] नक्शा से कम की जावे।

उपखण्डाधिकारी
…पुर (राज)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28/6/19	वकील प्रतिवादी श्री ... उप.। वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी व वादी गण को कई बार आवाज दिलवाई गई। कई बार आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व उनके अभिभाषक उपस्थित नही आये। अत: दावा वादीगण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। नकल नियमानुसार हो। Sd/- उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज.)	

18/06/19	वकील प्रतिवादी उप० / वकील वादी अनुपस्थित / वादी एंव उनके अभिभावक को कई बार आवाज दिलवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही वादी स्वंय या उनके अभिभावक उप० हुए / अतः दावा वादी अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान कम की जावे / उपखण्डाधिकारी (राज)	